न्यायालय– सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला– पाली (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती राजलक्ष्मी गेहलोत (R.A.S.)
राजस्व वि0 प्रकरण सं0–20/2019
निर्णय दिनांक– 05/02/2020

प्रार्थीगण–

1– चेलाराम पुत्र राजाराम, आयु– 60 वर्ष,
2– ओगडराम पुत्र राजाराम, आयु– 50 वर्ष,
जातिगण– जणवा चौधरी, निवासीगण– नारलाई, तहसील–देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी–

राज्य सरकार जरिये श्री तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधि01956 :–

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री शेषाराम कुमावत।
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :– दिनांक– 05/02/2020

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 136 राज0 भू– राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व अभिलेख मे प्रार्थीगण की वल्दीयत के संबंध मे लिपिकीय त्रुटी को सुधारे जाने हेतू प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि– मौजा सरहद ग्राम– नारलाई, पटवार हल्का– नारलाई, तहसील– देसूरी , जिला– पाली (राजस्थान) में खातेदारी की आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर– 2505, 2506, 2510 से लगाय 2513, 2518 से लगाय– 2530, 2530/2596, 2531, 2541 से लगाय– 2544 कुल खसरा– 25 कुल क्षेत्रफल– 33.6800 हैक्टर, लगान रूपया– 702.96 [illegible] है। जिस उपरोक्त वर्णित आराजियात के पुराने खसरा नम्बर–499 रकबा– 64 बीघा [illegible] बिस्वा, 501 रकबा– 77 बीघा 5 बिस्वा, 506 रकबा– 35 बीघा 8 बिस्वा, 50[illegible] रकबा– 5 बिस्वा, 508 रकबा– 30 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 2 पर..

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

6 विस्वा कुल खसरा–5 कुल रकबा– 208 बीघा 1 विस्वा थे।प्रमाण स्वरूप नई एवं पुरानी जमाबन्दिया एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपीया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त आराजियात मे ''भीकीया, राजीया, देवीया पि0 वेला'' की खातेदारी का हिस्सा विद्यमान था, जो प्रस्तुत पुरानी जमाबंदीया खतौनीयो सम्वत् 2018 से 2021, 2022 से 2025, 2026 से 2029 की प्रमाणित प्रतियो से स्पष्ट है। इस प्रकार उक्त आराजियात मे प्रार्थीगण के पिता राजीया पुत्र वेला की खातेदारी का हिस्सा विद्यमान था, जो प्रस्तुत राजस्व अभिलेख पुरानी जमाबंदिया से स्पष्ट है। प्रार्थीगण के पिता राजीया पुत्र वेला का स्वर्गवास काफी अर्सा पहले हो गया एवं उनके स्वर्गवास पश्चात् फौतेदगी नामा0 सं0– 438 के जरिये प्रार्थीगण के पिता राजीया के स्थान पर उसके वारिसान उत्तराधिकारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज किया, जिसमे प्रार्थीगण के पिता राजीया के स्थान पर ''चेलिया............ पि. राजा'' का इन्द्राज किया गया जो उक्त नामान्तरकरण की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है। प्रार्थीगण राजा के पुत्र हैएवं प्रार्थीगण के पिता राजा थे, जो उपरोक्त राजस्व अभिलेख से भी स्पष्टतया साबित है एवं सम्वत् 2026 से 2029 के बाद बनी जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 मे प्रार्थीगण को उनके पिता के स्थान पर खातेदार दर्ज किया एवं जमाबंदी मे ''चेलीया, ओगडीया, उदीया पि0 वनीया'' नाम से राजस्व कर्मचारियो की भूल एवं इन्द्राज की त्रुटी एवं गलति से दर्ज कर दिया जबकि ''चेलीया, ओगडीया पि0 राजा'' व ''उदीया पि0 वनीया'' दर्ज किया जाना चाहिए था किन्तु किन्तु राजस्व कर्मचारियो की इन्द्राज की लिपिकीय त्रुटी एवं गलति एवं सेवन से प्रार्थीगण चेलीया, ओगडीया एवं उदीया तीनो के पिता का नाम वनीया दर्ज कर दिया जबकि '' चेलीया, ओगडीया पि0 राजा '' एवं ''उदीया पुत्र वनीया '' दर्ज होना चाहिए था।

इस प्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे राजस्व कर्मचारियो की इन्द्राजात की लिपिकिय त्रुटी, भूल एवं गलति मात्र से प्रार्थीगण के पिता का सही नाम राजीया की बजाय वनीया गलत दर्ज हो गया, जो मात्र राजस्व कर्मचारियो की इन्द्राजात की लिपिकिय त्रुटी एवं भूल है, जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 मे उपरोक्त रूपेण राजस्व कर्मचारियो की इन्द्राजात की लिपिकीय त्रुटी एवं गलती से प्रार्थीगण की वल्दीयत की त्रुटी अनुसार सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान बनाई गई मिसल बन्दोवस्त सम्वत् 2041 से 2060 मे भी पुराने रेकर्ड मे उपरोक्तानुसार हुई इन्द्राज की त्रुटी अनुसार ही इन्द्राज [illegible] का नाम '' चेलीया, ओगडीया पि0 वनीया '' दर्ज होकर इसके आधार पर [illegible] जमाबंदियो मे भी उक्त वल्दीयत की त्रुटी चली आयी एवं सम्वत् 2066 से 2069 की जमाबंदी मे भी पूर्व जमाबंदी मे दर्ज त्रुटी अनुसार प्रार्थीगण की वल्दीयत ''चेलाराम, ओगडराम पि0 वनाराम'' एवं उसके

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

बाद बनी जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 एव वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 मे भी प्रार्थीगण की वल्दीयत चेलाराम पुत्र वनाराम, ओगडराम पुत्र वनाराम दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम ''राजाराम'' है, जो इसके पुराने राजस्व रिकार्ड से भी स्पष्टतया साबित है एवं अन्य खाता की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे प्रार्थीगण के पिता का सही नाम ''राजा'' यानि ''चेला पुत्र राजा'' एवं ''ओगड पुत्र राजा'' दर्ज है, जिससे एवं प्रार्थीगण के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि मे भी प्रार्थीगण के पिता का नाम '' राजा '' ही दर्ज है एवं वास्तविकता मे भी प्रार्थीगण के पिता का नाम राजा है, जो कि वादग्रस्त आराजी के पुराने राजस्व अभिलेख जमाबंदियो एवं अन्य खाता की जमाबंदी एवं परिवार कार्ड एवं आधार कार्ड आदि से स्पष्टतया साबित है। वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे उपर वर्णित अनुसार मात्र कर्मचारियो की इन्द्राजात की लिपिकीय भूल व गलति मात्र से प्रार्थीगण की वल्दीयत गलत दर्ज हुई है, जिसे हस्ब धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपरोक्त रूपेण इदन्द्राजात की लिपिकीय त्रुटी, भूल एवं गलति को सुधारा जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी मे प्रार्थीगण के पिता के स्थान पर लिपिकीय त्रुटी मात्र से दर्ज '' वनाराम '' के बजाय प्रार्थीगण के पिता का नाम '' राजाराम '' यानि वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज प्रार्थीगण के नाम '' चेलाराम पुत्र वनाराम '' के स्थान पर ''चेलाराम पुत्र राजाराम'' एवं ''ओगडराम पुत्र वनाराम'' के स्थान पर ''ओगडराम पुत्र राजाराम'' दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रिकोर्ड के अनुसार पैरा संख्या 1 व 2 स्वीकार है तथा नाम सम्मानजनक करना राज. सरकार के आदेशानुसार किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो शामिल मिसल की गई।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस का अध्ययन एवं मनन किया गया प्रार्थना–पत्र मे वर्णित आराजियात मे ''भीकीया, राजीया, देवीया पि0 वेला'' की खातेदारी होना राजस्व अभिलेख जमाबंदीया खतौनीयो सम्वत् 2018 से 2021, 2022 से 2025 2[illegible]029 की प्रमाणित प्रतियो से स्पष्ट होता है एवं पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] 438 की प्रमाणित प्रति से प्रार्थीगण के पिता राजीया [illegible] वारिसान उत्तराधिकारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज होना स्पष्ट होता है। सम्वत् 202[illegible] से 2029 के बाद बनी जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 मे प्रार्थीगण को उनके पिता के स्थान पर खातेदार दर्ज किया एवं

पेज लगातार 04 पर..

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

जमाबंदी मे ''चेलीया, ओगडीया, उदीया पि0 वनीया'' नाम से राजस्व कर्मचारियो की इन्द्राज की त्रुटी एवं गलति से दर्ज कर दिया जबकि ''चेलीया, ओगडीया पि0 राजा'' व ''उदीया पि0 वनीया'' दर्ज किया जाना चाहिए था। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे राजस्व कर्मचारियो की इन्द्राजात की लिपिकिय त्रुटी से प्रार्थीगण के पिता का सही नाम ''राजीया '' की बजाय '' वनीया ''गलत दर्ज हो जाना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण के पिता का नाम राजीया होना पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबंदियो फौतेदगी नामा0 एवं अन्य खाता की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी एवं प्रार्थीगण के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि मे भी प्रार्थीगण राजा के पुत्र होना यानि प्रार्थीगण के पिता का नाम राजा होना पाया जाता है। अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के पैरा–1 व 2 के तथ्यो का स्वीकार किया गया है।

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्ट्रान्तो अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन मे न्यायालय की राय राजस्व कर्मचारियो की इन्द्राजत की लिपिकीय त्रुटी एवं भूल से उक्त आराजियात मे दर्ज प्रार्थीगण के नामो मे पिता का नाम '' राजाराम'' की बजाय '' वनाराम दर्ज हुआ है, जिसे हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राज0 अधिनियम के तहत सुधारा जाना न्याय संगत है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर मौजा सरहद ग्राम नारलाई, पटवार हल्का–नारलाई, तहसील– देसूरी मे स्थित उक्त आराजियात खसरा नम्बर–2505, 2506, 2510 से लगाय 2513, 2518 से लगाय– 2530, 2530/2596, 2531, 2541 से लगाय– 2544 कुल खसरा– 25 कुल क्षेत्रफल– 33.6800 हैक्टर के वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज सह खातेदार प्रार्थीगण के नाम '' चेलाराम पुत्र वनाराम '' के स्थान पर ''चेलाराम पुत्र राजाराम'' एवं ''ओगडराम पुत्र वनाराम'' के स्थान पर ''ओगडराम पुत्र राजाराम'' दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदारजी, देसूरी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक– 05/02/2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)